निर्णय नकलशुदा श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अनुमोदित

प्रकरण सं. 74/19 राज.
दायरा दिनांक :- 5.7.19
निर्णय दिनांक :- 30.6.22

उनवान

रामावतार पुत्र श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उन्दा बामली तह. बारां जिला बारां

बनाम

1- रामस्वरूप पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बामली तह. बारां
2. गुलाबबाई पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बामली तह. बारां
3. कमलाबाई पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि० बामली तह. बारां
4. राधाबाई पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बामली तह. बारां
5. शोभा कुमारी पत्नी शीतलप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बामली तह. बारां
6- राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88, 89, 90, 188 RTA
निर्णय दिनांक :- 30.6.2022

उपस्थित अभिभाषक - 1 श्री हेमराज मीणा वरिष्ठ - वादी
2 श्री तेजकुमार मीणा - प्रार्थी।

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 RTA विरुद्ध प्रार्थी वादी गण के नाम से इस आशय का पेश किया गया कि वादी व प्रार्थी वादी गण के शामलाती खातेदारी की आराजी वाके उन्दा बामली तह. बारां के आराजियात खाता नं. 179 के वाकिन खसरा नं. 399 रकबा 0.6[illegible] खसरा नं. 400 रकबा 0.64 हे. कुल 2 रकबा 1.27 हे. है जो [illegible] 1/16 कमलाबाई ठि० 1/16 राधाबाई ठि० 1/16 [illegible] 1/4 रामावतार [illegible] 1/16 शोभा कुमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

है 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा गेंदीलाल व प्रतिवादी क्र.1 के पिता जवरलाल के नाम से गेंदीलाल व जवरलाल के पिता कंवरलाल से उक्त वादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई थी। वादी के दादा व प्रतिवादी के पिता जवरलाल के बीच करीब 70 वर्ष पूर्व खानगी बटवारे के अनुसार होकर भाई काश्त करते चले आ रहे थे। इसी प्रकार वादी के पिता गेंदीलाल अपने पिता की मृत्यु के बाद व प्रतिवादी क्र.1 के पिता जवरलाल की मृत्यु के बाद भी उसी खानगी बटवारे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे थे एवं वर्तमान में भी वादी व प्रतिवादी क्र.1 उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है वादी के पिता ने प्रतिवादी क्र.1 को वादग्रस्त भूमि में इसकी जानकर खानगी बटवारे के अनुसार दे रखी थी और अपने हिस्से में ख.नं. 399 रकबा 0.63 हे. ख.नं. 400 रकबा 0.64 हे. में प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि में इसकी जानकर खानगी बटवारे के अनुसार दे रखी थी और अपने हिस्से में ख.नं. 399 रकबा 0.63 हे. ख.नं. 400 रकबा 0.64 हे. में प्रतिवादी क्र. 1 को 1/4 हिस्सा वादी के पिता के कब्जे काश्त में चला आ रहा था वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी के 1/4 हिस्से पर वादी का काबिज काश्त है एवं वर्तमान में भी 1/4 हिस्से पर वादी ही काश्त करता चला आ रहा है

वादी प्रतिवादी क्र. 1 के 1/4 हिस्से पर अपने पिता के जीवन काल से ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी क्र. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी क्र. 1 के मौखिक पारिवारिक बटवारे के अनुसार एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी क्र. 1 के 1/4 हिस्से का वादी व प्रतिवादी क्र. 2 ता 5 के पिता व दादा द्वारा खानगी बटवारे के अनुसार प्रतिवादी क्र. 1 के 1/4 हिस्से को वादी को मृत्यु से पूर्व ही दे दिया था जिस पर वादी वर्तमान में भी काबिज काश्त करता चला आ रहा है इसलिए वादी [illegible] वादग्रस्त आराजीयात के वादग्रस्त ख.नं. 399 रकबा [illegible] रकबा 0.64 हे. वादि

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त बागली तह० बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी वादी क्र०1
का नाम इन्द्राकार प्रार्थी वादी क्र०1 के 1/4 हिस्से पर वादी स्वयं खातेदार
घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने व प्रार्थी वादी
क्र०1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के वैधानिक अधिकारी
है। वादी एवं प्रार्थी वादी क्र०1 के 1/4 हिस्से को वादनी बरकरार
अनुसार स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु निवेदन कर
चुका है किन्तु आज तक भी प्रार्थी वादी क्र०1 ने कोई ध्यान नहीं
दिया इसलिये यह वाद पत्र प्रस्तुत करने पर रहा है दिनांक 15.6.13
को वादी द्वारा प्रार्थी वादी क्र०1 से उक्त 1/4 हिस्से पर वादी का नाम
राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की कहने पर प्रार्थी वादी क्र०1 द्वारा
मना करने पर वाद कारण उक्त बागली तह० बारां में अधिकार बार उत्पन्न
हुआ वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी वादी गण को
जरिये समन तलब किया गया। प्रार्थी वादी क्र०1 की ओर से इन्कारी
जवाब पेश हुआ प्रार्थी वादी क्र 2 ता 5 बावजूद तामील के न्याया०
में उप० नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही
की गयी वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी
उक्त बागली सम्वत 2070-73 खाता नं. 179, नकल जमाबंदी उक्त
बागली सम्वत 2006-09 पेश की गयी तथा वादी ने रामावतार,
मथुरालाल, नंदलाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अधिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस के
दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।
वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके उक्त बागली में
स्थित है वादी के दादा व प्रार्थी वादी के पिता भैरूलाल के बीच
लगभग 70 वर्ष पूर्व वादनी बरकरार हो गया था। उक्त वादनी बरकरार
के अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं प्रार्थी वादी क्र०1 को
उक्त बागली में दूसरी जमीन वादनी बरकरार में दे दी थी तथा
जरिये ही की 1/4 आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा
है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद भी 1/4 हिस्से पर वादी का कब्जा
काश्त चला आ रहा है वर्तमान में भी वादी का कब्जा काश्त-
चला आ रहा। प्रार्थी वादी … इन्कारी जवाब पेश कर

लगातार-4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

8	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner

वादी का वाद स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। विवादित आराजी मे वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने मे प्रति वादी क्र.1 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी।

पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल - जमाबंदी ग्राम बामली तह० बारां संवत 2070-73 खाता नं. 179 के अनुसार वादी एवं प्रति वादी गण के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है। नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2006-09 माधो लाल, जगलाल पुत्र कंवरलाल मांग्या, रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल के सामलाती खातेदारी दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खातेदारी मे है वादी रामावतार प्रति वादी क्र.1 के खातेदारी की आराजी को अपने खाते दर्ज कराना चाहता है प्रति वादी क्र.1 द्वारा इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद पत्र डिक्री करने मे उन प्रति वादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा किस प्रकार वाद पत्र मे प्रति वादी क्र.1 को अन्य भूमि देने का जिक्र किया है परन्तु वादी द्वारा उनके खातेदारी की भूमि की नकलें पेश नहीं की गयी जिससे यह साबित नहीं होता है कि प्रति वादी क्र.1 को अन्य गांव की भूमि दे रखी या नहीं। वादी एवं प्रति वादी द्वारा रजिस्ट्री शुल्क बचाने की नियत से दावा करके खातेदारी प्राप्त करना चाहते है वादी का वाद नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करा कर खातेदारी दिया जाना न्यायोचित है

निर्णयक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बामली तह० बारां के ख.नं. 399 रकबा 0.63 हे., ख.नं. 400 रकबा 0.64 हे० भूमि मे प्रति वादी क्र.1 के हिस्सा 1/4 की वर्तमान डी.एल.सी दर से स्टाम्प [illegible] पंजीयन शुल्क जमा कराने पर वादी को 1/4 हिस्सा का [illegible] घोषित किया जाता है तथा प्रति वादी क्र.1 का नाम खातेदार [illegible] डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर दर्ज इजलास किया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

74/19	धारा अंतर्गत 88, 89, 90, 188 RTA	निर्णय दिनांक 30.6.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हेमराज बैरवा		अभिभाषक प्रतिवादी श्री तेजकुमार मीणा

वाद शीर्षक

रामावतार पुत्र श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामली तह. बारां

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण नि. बामली तह. बारां
2. गुलाबबाई पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि. बामली तह. बारां
3. रुकमणी बाई पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि. बामली तह. बारां
4. राधाबाई पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि. बामली तह. बारां
5. शोभा कुमारी पत्नी शीतलप्रसाद जाति ब्राह्मण नि. बामली तह. बारां
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी मौजा उक्त बामली तह. बारां के ख.नं. 399 रकबा 0.63 हे., ख.नं. [illegible] रकबा 0.64 हे. कुल में प्रार्थी वादी क्र. 1 के हिस्सा 1/4 की वर्तमान डीएलसी दर से स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने पर वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रार्थी वादी का नाम खाते में दर्ज किया जावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.6.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner